

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2017—भाद्र 31, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2017

क्र. ई.-5-684-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर,
आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह
संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 4 दिसम्बर 2017 से 31 मार्च
2018 तक, एक सौ अठाहर दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप
से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त
विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पुनः
पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं
भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व
मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश
पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. ई-1-294-2017-5-एक.—श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे
(2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ को
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उपसचिव, मध्यप्रदेश
शासन, राजस्व विभाग पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2017

क्र. ई-5-968-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) सुश्री सोनिया
मीना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया
को दिनांक 31 अगस्त से 8 सितम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित
अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक

9 एवं 10 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनिया मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री सोनिया मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनिया मीना अवकाश पर नहीं जारी तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2017

क्र. ई-1-296-2017-5-एक.—डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ

आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त मण्डी का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-480-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस., प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 20 जून से 5 अगस्त 2017 तक, सैतालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 6 अगस्त से 1 सितम्बर 2017 तक, सत्ताइस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. गोपाल रेड्डी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2017

क्र. ई-1-302-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाएं गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

नवीन पदस्थापना

खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

- 1 श्री एम. सेलवेन्द्रन (2002) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल.
- 2 डॉ. संजय गोयल (2003) मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

2. डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे (1994), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-303-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से, पदस्थ किया जाता हैः—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती छवि भारद्वाज (2008), आयुक्त, नगर निगम, भोपाल।	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम।	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	सुश्री प्रियंका दास (2009), कलेक्टर, टीकमगढ़।	आयुक्त, नगर निगम, भोपाल	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

2. उपरोक्तानुसार श्रीमती छवि भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे। अब श्री हरिरंजन राव की मूल पदस्थापना आयुक्त पर्यटन के पद पर मानी जावेगी।

3. राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत आयुक्त, पर्यटन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2017

क्र. ई-5-865-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री व्ही. किरण गोपाल, उपसचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वर्तमान में स्टडी लीब पर) को दिनांक 5 से 7 जुलाई 2017 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 8, 9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योन्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”।

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. 5778-एफ-3-23-2011-तेरह.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-302-2017-5-एक, दिनांक 2 सितम्बर, 2017 के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा, डॉ. संजय गोयल (2003), मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1(ए)122-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री सुधीर व्ही. लॉड, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 14 से 18 अगस्त 2017 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री सुधीर व्ही. लॉड, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलथा था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर व्ही. लॉड, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1-109-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (काउंटर/आसूचना) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 18 से 26 सितम्बर 2017 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 16-17 सितम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ दक्षिण कोरिया की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) श्री संजीव शमी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक (काउंटर/आसूचना), मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजीव शमी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1(ए)42-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे, अति पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर को दिनांक 14 से 22 अगस्त 2017 तक, नौ दिवस की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे, अति पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर का चालू कार्य श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. एफ-7-5-2016-छः.—राज्य शासन एतद्वारा श्री महेन्द्र सिंह (चाचू बना) को मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017

फा. क्र. 3406-2017-इक्कीस-ब (एक).—न्यायिक सेवा के सदस्य श्री मनोज कुमार, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ग्वालियर को दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 के पश्चात् हुआ हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 10 मार्च 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपनियम (5 एवं 6) के अनुसार “ऐसे अभ्यार्थी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, जिन्हें दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 के पश्चात् हुआ है।”

माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 19 जुलाई 2017 में इसे मान्य करते हुए श्री मनोज कुमार (ट्रेनी जज) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम-9 (सी) एवं फुल कोर्ट मीटिंग (By Circulation) दिनांक 26 जुलाई 2017 में प्रशासनिक समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय को मान्य करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक् (Terminate) किये जाने की अनुशंसा की है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री मनोज कुमार, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ग्वालियर (ट्रेनी जज) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम-9 (सी) के अन्तर्गत सेवा से पृथक् (Terminate) किया जाए।

अतः मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम-9 (सी) के अन्तर्गत एतद्वारा, राज्य शासन, श्री मनोज कुमार, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ग्वालियर (ट्रेनी जज) को सूचना प्राप्ति दिनांक से एक माह की कालावधि की समाप्ति पर सेवा से पृथक् (Terminate) करता है।

फा. क्र. 3538-2017-इक्कीस-ब (एक).—न्यायिक सेवा के सदस्य श्री अशरफ अली, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जबलपुर (ट्रेनी जज) के विरुद्ध प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 के पश्चात् हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 10 मार्च 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपनियम (5 एवं 6) के अनुसार “ऐसे अभ्यार्थी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, जिन्हें दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 के पश्चात् हुआ है।”

माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 19 जुलाई 2017 में इसे मान्य करते हुए श्री अशरफ अली, (ट्रेनी जज) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम-9 (सी) एवं फुल कोर्ट मीटिंग (By Circulation) दिनांक 26 जुलाई 2017 में प्रशासनिक समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय को मान्य करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक् (Terminate) किये जाने की अनुशंसा की है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री अशरफ अली, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जबलपुर (ट्रेनी जज) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 1994 के नियम-9 (सी) के अन्तर्गत सेवा से पृथक् (Terminate) किया जाए।

अतः मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम-9 (सी) के अन्तर्गत एतद्वारा, राज्य शासन, श्री अशरफ अली, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जबलपुर (ट्रेनी जज) को सूचना प्राप्ति दिनांक से एक माह की कालावधि की समाप्ति पर सेवा से पृथक् (Terminate) करता है।

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-3554-17.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 9 एवं 40 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश / अपर	स्थानीय क्षेत्र
	सेशन न्यायाधीश	
(1)	(2)	(3)

- | | |
|----------------------------------------------|--|
| “9. प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर | |
| | |
| 40. प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.” | |
| | |

F. No. 1-1-88-XXI-B(1)-3554-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further Amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 6th November 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said Notifications in the Schedule, for Serial Number 9 and 40 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:—

TABLE

S. No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local Area
(1)	(2)	(3)
“9.	1st Additional Sessions Judge, Burhanpur	Burhanpur
40.	1st Additional Sessions Judge, Shahdol.”.	Shahdol.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2017

फा. क्र. 3809-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, महाधिवक्ता के परामर्श से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ, इन्दौर में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए नवसृजित पद पर श्री लक्ष्मी नारायण सोनी, वरिष्ठ अधिवक्ता (नामांकन क्र. MP/

3/2008/SEN/ADV (NEW)/21-01-2008) को इस आदेश दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये, शासन द्वारा निर्धारित सेवाशर्तों के अधीन अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त करता है.

फा. क्र. 3871-इक्कीस-ब-(दो)-2017.—राज्य शासन, दंडप्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्याक 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये महाधिवक्ता कार्यालय मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर में इस विभाग के आदेश क्रमांक 3368 दिनांक 31 जुलाई 2017 द्वारा पदस्थ समस्त विधि अधिकारियों को, उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2017

फा. क्र. 3874-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के उपनियम (12) के खंड (ख) के उपखण्ड (ii) के अन्तर्गत एतद्वारा श्री गोविन्द सिंह सिसौदिया, नोटरी, जिला टीकमगढ़ को उनके नोटरी व्यवसाय के वर्तमान प्रमाण-पत्र की विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् दिनांक 15 दिसम्बर 2020 तक की अवधि के लिये नोटरी के व्यवसाय से निलंबित करता है.

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

फा. क्र. 3541-इक्कीस-ब(दो)-2017.—राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले उन विधि अधिकारियों के लिये जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 में वर्णित है उनके नाम के सम्मुख कॉलम 3 में दर्शायी गई वर्तमान रिटेनर फीस को पुनरीक्षित कर कॉलम 4 में मासिक मानदेय (रिटेनर फीस) के रूप में आदेश जारी होने के दिनांक से नियत करता है:—

सारणी

क्र (1)	पदनाम (2)	वर्तमान निश्चित मासिक पारिश्रमिक (3)	पुनरीक्षित निश्चित मासिक पारिश्रमिक (4)
1	महाधिवक्ता	रु. 80,500/- (रु. अस्सी हजार, पांच सौ केवल).	रु. 1, 80,500/- (रु. एक लाख, अस्सी हजार केवल).
2	अतिरिक्त महाधिवक्ता	रु. 63,250/- (रु. तिरेसठ हजार, दो सौ पचास केवल).	रु. 1,75,000/- (रु. एक लाख, पिछतर हजार केवल).

(1)	(2)	(3)	(4)
3	उप महाधिवक्ता	रु. 57,500/- (रु. सत्तावन हजार, पांच सौ केवल).	रु. 1,60,000/- (रु. एक लाख, साठ हजार केवल).
4	शासकीय अधिवक्ता	रु. 40,250/- (रु. चालीस हजार दो सौ पचास केवल).	रु. 1,25,000/- (रु. एक लाख, पचीस हजार केवल).
5	उप शासकीय अधिवक्ता	रु. 34,500/- (रु. चौंतीस हजार, पांच सौ केवल).	रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख केवल).

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता 01-वेतन-001-अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 190 (90)-1012/2017/ब8/चार, दिनांक 1 सितम्बर 2017 के अनुक्रम में जारी की जा रही है।

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक)-3578-2017.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(1) अनुक्रमांक 40 तथा 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
“40.	श्री मनोज कुमार लड़िया, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी.	सिवनी	सिवनी
33.	श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर.	श्योपुर	श्योपुर.”
(2)	अनुक्रमांक 7-ख एवं 46-2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात् :—		
“7-ग.	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भानपुरा.	भानपुरा मंदसौर	भानपुरा मंदसौर
46-3	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावद.	जावद नीमच	जावद नीमच.”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 1-6-89-XXI-B(1) 3578-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B (I), dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I dated the 17th April, 1998, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table,

- (1) for serial numbers 40 and 49 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name and designation of the Judge	Special Court	Local area Session Division
(1)	(2)	(3)	(4)

"40.	Shri Manoj Kumar Ladia, IIIrd Additional Sessions Judge, Seoni.	Seoni	Seoni
------	--------------------------------------------------------------------	-------	-------

49.	Shri Munshi Singh, Chandrawat, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sheopur.	Sheopur	Sheopur."
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------

- (2) after serial number 7-B and 46-2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

"7-C.	Shri Hitendra Kumar Mishra, Additional Sessions Judge, Bhanpura.	Bhanpura	Bhanpura
		Mandsaur	Mandsaur

46-3	Shri Raguhvir Prasad Patel, Additional Sessions Judge, Jawad.	Jawad	Jawad
		Neemuch	Neemuch."

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सर्वसेना, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. एफ-15-21-2017-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं बन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमायें	अनुसूची	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रीवा	सिरमौर	पावन घिनौची	आरक्षित वन-80, धाम “पियावन”	80	100.00	पूर्व—वन कक्ष क्रमांक 81 व 84 पश्चिम—वन कक्ष क्रमांक 80 उत्तर—वन कक्ष क्रमांक 81 दक्षिण—वन कक्ष क्रमांक 81 व 84		
2.		सिरमौर	टोंस वाटरफॉल	आरक्षित वन-73 व 224.	73	60.00	पूर्व—वन कक्ष क्रमांक 73 पश्चिम—वन कक्ष क्रमांक 224 व 73 उत्तर—वन कक्ष क्रमांक 73 व 224 दक्षिण—वन कक्ष क्रमांक 73		
3.		सिरमौर	आल्हा घाट	आरक्षित वन-75	75	100.00	पूर्व—वन कक्ष क्रमांक 76 पश्चिम—वन कक्ष क्रमांक 75 उत्तर—वन कक्ष क्रमांक 75 दक्षिण—वन कक्ष क्रमांक 75		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. एफ-15-21-2017-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-21-2017-दस-2, दिनांक 11 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th September 2017

No. F-15-21-2017-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hactare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rewa	Sirmore	Pawan Ghinochi Dham “Piyavan”	RF-80, 81 and 84.	100.00	East —Compartment No. RF-81 & 84. West —Compartment No. RF-80 North —Compartment No. RF-81 South —Compartment No. RF-81 and 84.
2.		Sirmore	Tons Water Fall.	RF-73 and 224.	60.00	East —Compartment No. RF-73 West —Compartment No. RF-224 & 73. North —Compartment No. RF-73 & 224. South —Compartment No. RF 73.
3.		Sirmore	Aalha Ghat.	RF-75	100.00	East —Compartment No. RF-76 West —Compartment No. RF-75 North —Compartment No. RF-75 South —Compartment No. RF 75.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 19-अ-82-2016-17

अलीराजपुर, दिनांक 1 अगस्त 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची क्रमांक 01 में छोटा उदयपूर-धार रेलवे लाइन हेतु ग्राम चुलिया तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—:: अनुसूची (01) ::—

ग्राम चुलिया		तहसील जोबट		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	निजी भूमि	1.230	0.000	1.230

—:: अनुसूची (02) ::—

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा					अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	दिलीप पिता जोतसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	528/1	0.300	0.000	0.300	0.300	0.000	0.300	
2	शंकरसिंह नानसिंह केरमसिंह पिता मोतिसिंह व रमतु बेवा मोतिसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	527/1	0.900	0.000	0.900	0.050	0.000	0.050	
3	जोतसिंह पिता मंगू गरमीया पिता जोतसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	527/2	0.240	0.000	0.240	0.240	0.000	0.240	
4	दिलीप पिता जोतसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	527/3	0.340	0.000	0.340	0.340	0.000	0.340	
5	कलमसिंह पिता जोतसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	527/4	0.300	0.000	0.300	0.300	0.000	0.300	
	योग:-		2.080	0.000	2.080	1.230	0.000	1.230	

प्र. क्र. 20-अ-82-2016-17

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची क्रमांक 01 में छोटा उदयपूर-धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम बेहडिया तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—:: अनुसूची (01) ::—

ग्राम बेहडिया			तहसील जोबट		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	निजी भूमि	4.678	14.097	18.775	

—:: अनुसूची (02) ::—

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर)			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
1	बहादर पिता अमरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	241/2	0.000	0.540	0.540	0.000	0.313	0.313	
2	कलमसिंह पिता डुगरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	241/3	0.000	0.500	0.500	0.000	0.290	0.290	
3	झेतू बालसिंह, सेमला, जुवानसिंह पि.प्रेससिंह, जाति भीलाला पता सा.देह भूमि स्वामी	240	0.000	0.150	0.150	0.000	0.283	0.283	
4	तेरसिंह करमा पिता भूचर सकरी सालु बेवा भुवर रंख शांति हरती बुढ़ी कमली अंगूर धणी धनजी पिता ठाकरिया दिलीप बसंत शीला पिता ठाकरिया भीलाला नाठाठाठ प्र 0 माता थवरी बेवा ठाकरिया भीलाला पता सा.देह भूमि स्वामी	239/1	3.430	0.000	3.430	1.003	0.000	1.003	
5	ज्ञानसिंह पिता गलु पता सा.देह भूमि स्वामी	239/2	0.000	1.550	1.550	0.000	0.074	0.074	
6	तेरसिंग कलेसिंग पिता भूचर रेखा शांति हरती बुढ़ी कमली अंगूर धणी धनजी पिता ठाकुरसिंग दिलीप बसंत शीला पिता ठाकुरसिंग ना 0 वा 0 स 0 प्र 0 माता थावली बेवाठाकुरसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239/2/2	0.000	1.800	1.800	0.000	0.025	0.025	
7	झेतू बालसिंह, सेमला, जुवानसिंह पि.प्रेससिंह, जाति भीलाला पता सा.देह भूमि स्वामी	238	0.000	0.360	0.360	0.000	0.363	0.363	
8	भमरसिंह पिता गुलाबसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35	0.000	1.290	1.290	0.000	0.531	0.531	
9	भूचर पि.कालिया, झमड़ीबेवा कालिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	37	2.040	0.000	2.040	0.042	0.000	0.042	

10	झेतू बालसिंह, समला, जुवानसिंह पि.प्रेससिंह, जाति भीलाला पता साठेह. भूमि स्वामी	210	0.890	0.000	0.890	0.728	0.000	0.728
11	भमरसिंह पिता गुलाबसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	211	0.000	1.300	1.300	0.000	0.838	0.838
12	केसरसिंह पिता अमरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	212	0.000	0.810	0.810	0.000	0.472	0.472
13	भुचर पि.कालिया, झमड़ौबेवा कालिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	216	0.000	1.150	1.150	0.000	0.260	0.260
14	घनसिंह पिता भीलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	209/1	0.000	1.000	1.000	0.000	0.508	0.508
15	किशन पि.भोलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	209/2	0.000	0.530	0.530	0.000	0.250	0.250
16	नानकिया पिता भीलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	209/3	0.000	0.300	0.300	0.000	0.284	0.284
17	नानकिया पिता भीलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	208	0.000	0.420	0.420	0.000	0.181	0.181
18	किशन पि.भीलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207	0.000	0.180	0.180	0.000	0.089	0.089
19	पाचिया खुमान पहाड़सिंह मडिया शान्तिलाल पिता डुगरिया व थावली बेवा डुगरिया अमरसिंह कनिया सरदार भुवान पिता जामसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	185	0.000	1.200	1.200	0.000	0.747	0.747
20	वेस्ता अमरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	183	0.000	0.750	0.750	0.000	0.747	0.747
21	केशरीया, मेरलिया पि.गमीर जाति भीलाला पता साठेह. भूमि स्वामी	182	0.000	0.150	0.150	0.000	0.078	0.078
22	केशरीया, मेरलिया पि.गमीर जाति भीलाला पता साठेह. भूमि स्वामी	181	0.000	0.960	0.960	0.000	0.006	0.006
23	पाचिया खुमान पहाड़सिंह मडिया शान्तिलाल पिता डुगरिया व थावली बेवा डुगरिया भुरु सेलबाई जानबाई पिता रामसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	179	0.000	0.870	0.870	0.000	0.174	0.174
24	पाचिया खुमान पहाड़सिंह मडिया शान्तिलाल पिता डुगरिया व थावली बेवा डुगरिया भुरु सेलबाई जानबाई पिता रामसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178	0.000	1.050	1.050	0.000	0.475	0.475
25	थानसिंह, सज्जा पिता रत्नसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175	0.380	0.000	0.380	0.357	0.000	0.357
26	पाचिया खुमान पहाड़सिंह मडिया शान्तिलाल पिता डुगरिया व थावली बेवा डुगरिया भुरु सेलबाई जानबाई पिता रामसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174	0.300	0.000	0.300	0.062	0.000	0.062
27	पाचिया खुमान पहाड़सिंह मडिया शान्तिलाल पिता डुगरिया व थावली बेवा डुगरिया भुरु सेलबाई जानबाई पिता रामसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	173	0.300	0.000	0.300	0.002	0.000	0.002
28	अमनसिंह कनिया सरदार भुवान पिता जामसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	169	0.220	0.000	0.220	0.033	0.000	0.033

29	जोगडीया पिता केकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142	0.000	0.390	0.390	0.000	0.325	0.325
30	जोगडीया पिता केकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143	0.000	0.250	0.250	0.000	0.070	0.070
31	जोगडीया पिता केकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	144	0.000	0.480	0.480	0.000	0.115	0.115
32	माऊ पिता जालम व हजरी पिता जालमजाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	145/1	0.000	0.480	0.480	0.000	0.190	0.190
33	बकसिया पिता रतनसिंह तेजली पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140	0.000	0.670	0.670	0.000	0.201	0.201
34	वरस्ता अमरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137	0.000	0.570	0.570	0.000	0.310	0.310
35	बकसिया पिता रतनसिंह तेजली पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	139	0.000	0.830	0.830	0.000	0.407	0.407
36	पाचिया खुमान पहाड़सिंह मडिया शान्तिलाल पिता डुगरिया व थावली बेवा डुगरिया भुरु सेलबाई जानबाई पिता रामसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	375	0.000	2.540	2.540	0.000	0.471	0.471
37	जोगडीया पिता केकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	377	1.810	0.000	1.810	0.877	0.000	0.877
38	सुमान पिता सुरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	379	0.000	0.300	0.300	0.000	0.048	0.048
39	सुमान पिता सुरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	380	0.000	0.600	0.600	0.000	0.238	0.238
40	सुमान पिता सुरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	383	0.000	0.610	0.610	0.000	0.257	0.257
41	भुरु पिता जैराम जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	384	0.000	0.650	0.650	0.000	0.149	0.149
42	सुमान पिता सुरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	385	0.000	0.750	0.750	0.000	0.118	0.118
43	सेकु पिता भाटू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386	0.000	2.270	2.270	0.000	0.546	0.546
44	भुरु पिता जैराम जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	387	0.000	1.010	1.010	0.000	0.450	0.450
45	भंगूझांगू पांगू पिता छितु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	424	3.260	0.000	3.260	0.449	0.000	0.449
46	वरस्ता,सेकडिया,इडिया ,इन्दरसिंह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	438	0.000	1.450	1.450	0.000	0.242	0.242
47	वरस्ता,सेकडिया,इडिया ,इन्दरसिंह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	439	0.000	0.800	0.800	0.000	0.286	0.286
48	वरस्ता,सेकडिया,इडिया ,इन्दरसिंह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	440	0.000	0.750	0.750	0.000	0.288	0.288
49	वरस्ता,सेकडिया,इडिया ,इन्दरसिंह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	441	0.000	0.700	0.700	0.000	0.107	0.107
50	वरस्ता,सेकडिया,इडिया ,इन्दरसिंह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	442	0.000	1.080	1.080	0.000	0.758	0.758

51	वेस्ता,सेकड़िया,इंडिया ,इन्द्रसिंह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	443	0.000	0.480	0.480	0.000	0.488	0.488
52	वेस्ता,सेकड़िया,इंडिया ,इन्द्रसिंह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	447	1.080	0.000	1.080	0.779	0.000	0.779
53	वेस्ता,सिरदार,पिता जामसिंह अन्तर विधवा जामसिंह करणसिंह कनिया रानु पिता पेमा ललीता रेखा नाठबाठपालनकर्ता बानु बेवा पेमा जाति भील पता सांदेह भूमि स्वामी	449	1.690	0.000	1.690	0.287	0.000	0.287
54	वेस्ता,सिरदार,पिता जामसिंह अन्तर विधवा जामसिंह करणसिंह कनिया रानु पिता पेमा ललीता रेखा नाठबाठपालनकर्ता बानु व बानु बेवा पेमा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	450	0.130	0.000	0.130	0.022	0.000	0.022
55	वेस्ता,सिरदार,पिता जामसिंह अन्तर विधवा जामसिंह करणसिंह कनिया रानु पिता पेमा ललीता रेखा नाठबाठपालनकर्ता बानु व बानु बेवा पेमा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	451	0.120	0.000	0.120	0.037	0.000	0.037
56	वेस्ता,सिरदार,पिता जामसिंह अन्तर विधवा जामसिंह करणसिंह कनिया रानु पिता पेमा ललीता रेखा नाठबाठपालनकर्ता बानु व बानु बेवा पेमा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	435/1	0.000	5.330	5.330	0.000	0.303	0.303
57	रेसिंह पिता दरियावसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	435/1/1	0.000	1.000	1.000	0.000	0.102	0.102
58	ठेबायसिंह पिता दरियावसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	435/2/1	0.000	0.850	0.850	0.000	0.640	0.640
	योग:-		15.650	41.700	57.350	4.678	14.097	18.775

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 02-अ-82-2016-17-9420

सागर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

चौंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर म.प्र. को बीना-कट्टनी रेलखण्ड के समपार क्रमांक-307-बी (सागर-फाटक) के एवज् में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)

परियोजना का नाम : बीना-कट्टनी रेलखण्ड के समपार क्रमांक-307-बी (सागर-फाटक) के एवज् में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. निर्माण कार्य हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	बीना
3. ग्राम	:	बीना इटावा
4. पट.ह.नं.-	:	51
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	0.826 है।

:: अनुसूची-1 ::

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्थानिक का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	अर्जित भूमि परिसंपत्तियों का अनुमानित क्षेत्र	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5		7	8	9
1	मुह. शफीक पिता हाफिज मुह. अगीन साकिन देह, अजीज अहमद पिता खलील अहमद, सवीना पुत्री, खलील अहमद साकिन एम.इ.एस.कालोनी, जबलपुर, श्रीमति लैला पत्नि मोहम्मद याकूब पुत्र खलील अहमद साकिन अटाला उ.प्रत्र., मुवीन अहमद, शाहिद अहमद, चीना उर्फ फकरे, नूरा उर्फ नूर, आलम, मुन्ना पिता नईम, मोहम्मद जरीना वेदी, महजवीन, मूमता, अरवीना पिता मोहत्र नर्पझ, मेहरजुननिशा वेवा मोहद. नईम, हसीन अहमद, सायमा पिता मुफीद अहमद निवासी इटावा, नूर सैयदी वेवा मुफीद, अहमद, अरसद, अलीराजा, सन्नो पिता अहमद रजा साकिन कानपुर	भूमिस्वामी	408/1	52.052	0.151	आर.सी.सी. की 2 दुकाने एवं एक गो-डाउन	1200 वर्गफुट	
		भूमिस्वामी	412/1	0.491	0.101	आर.सी.सी. की 5 दुकान	700 वर्गफुट	
						नगर पालिका बीना द्वारा निर्मित टीन शेड एवं पक्के चबूतरे	2160 वर्गफुट	

2	गुरुकृपा इन्टर प्राइजेज बाहूबलि कालोनी मोतीनगर वार्ड सागर द्वारा कुलदीप सिंह पिता सुरजीत सिंह भाटिया, श्रीलाल पिता सुन्दरलाल जैन साकिन चन्द्रशेखर वार्ड सागर,? मुकेश कुमार पिता सुखदीप प्रसाद जैन साकिन मोतीनगर वार्ड बीना	भूमिस्वामी	412/2	0.42	0.222	निरंक	निरंक	-
3	राहुल पिता हरिसिंह राय साकिन शिवाजी वार्ड बीना	भूमिस्वामी	412/4/6	0.057	0.057 (6200 वर्गफुट)	आर.सी.सी. की १ दुकाने	1300 वर्गफुट	
						आर.सी.सी. नीच	300 वर्गफुट	
4	देशराज पिता भागीरथ बिलगेया साकिन जवाहरवार्ड बीना	भूमिस्वामी	405/1/1	0.353	0.044	निरंक	निरंक	
5	प्रभात कुमार, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार पिता विष्णुप्रसाद व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना	भूमिस्वामी	408/5	0.092	0.050	निरंक	निरंक	
6	श्रीमति कांता पत्नि प्रभात कुमार व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना	भूमिस्वामी	408/18	0.018	0.018	निरंक	निरंक	
		भूमिस्वामी	408/19	0.014	0.005	निरंक	निरंक	
		भूमिस्वामी	408/20	0.011	0.011	निरंक	निरंक	
		भूमिस्वामी	408/21	0.011	0.011	निरंक	निरंक	
7	श्रीमति शारदा पत्नि विनोद कुमार व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना	भूमिस्वामी	408/14	0.008	0.008	निरंक	निरंक	
		भूमिस्वामी	408/15	0.013	0.011	निरंक	निरंक	
		भूमिस्वामी	408/16	0.008	0.005	निरंक	निरंक	
8	लक्ष्मीबाई वेवा हरिसिंह, राहुल, राजीव, पूजा, नंदिनी पिता हरिसिंह राय निवासी शिवाजी वार्ड बीना	भूमिस्वामी	408/33	0.011	0.006	निरंक	निरंक	
9	मुह. शफीक पिता हाफिज महमद अमीन साकिन देह, अजीज अहमद पिता खलील अहमद, सर्वीना पुत्री खलील अहमद, एम.इ.एस. कालोनी जबलपुर, लैला पति मुह. याकूब पुत्री खलील अहमद साकिन अटाला उ.प्र., मुबीन अहमद साहिद अहमद, चीना उर्फ इश्तखार, कल्लू उर्फ फकरे, नूरा उर्फ नूर आलम, मुन्ना पिता नईम, मोहम्मद जरीना वेवी महजबीन, मुमताज, अरबीना पिता मुह. नईम, हसीन अहमद, सायमा पिता मुफदीद अहमद, नूर सरैदी वेवा मुफीद अहमद, अरसद अलीराजा, संन्नो पिता अहमद रजा साकिन कानपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/23	1.071	0.113	आर.आर.सी. निर्वित 20 दुकाने	3875 वर्गफुट	
						एक कदम का वृक्ष		
						एक दयूवर्षे		
10	राहुल पिता हरीराम राय निवासी शिवाजी वार्ड बीना, मुहम्मद नफीस, मुहम्मद माहिर पिता सली साकिन वीरसावरकर वार्ड बीना	भूमिस्वामी	412/4/1	0.340	0.013	निरंक	निरंक	
योग:-				4.973	0.826			

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ 16—15—(7)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीना एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी। सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र. क्र. 16741-अ-82-2016-17

राजगढ़, दिनांक 12 सितम्बर 2017

(अंतर्गत धारा—19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम उदपुरिया के लिए ढूब में शेष प्रभावित भूमि

हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्कस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के द्वाब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम उदपुरिया

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जित भूमि
1	2	3	4	5
1	रोड़जी पिता कन्हैया जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	40/1 / 41/1 /	0.013 / 0.016 /	0.013 0.016
	योग	2	0.029	0.029
2	गणपत पिता कन्हैया जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	40/2 / 41/2 /	0.013 / 0.016 /	0.013 0.016
	योग	2	0.029	0.029
3	चतक पिता कन्हैया जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	40/3 / 41/3 /	0.013 / 0.015 /	0.013 0.015
	योग	2	0.028	0.028
4	बीरम, धीरप, कंवरलाल पिता नानजी जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	40/4 / 41/4 /	0.006 / 0.016 /	0.006 0.016
	योग	2	0.022	0.022
5	माधू पिता धूलजी जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	45 /	0.051 /	0.051
	योग	1	0.051	0.051
6	देवीलाल पिता बट्टूलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	157/1 /	0.923 /	0.923
	योग	1	0.923	0.923
7	लक्ष्मीनारायण, कुमेरसिंह पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	157/2 /	0.923 /	0.923
	योग	1	0.923	0.923
8	लक्ष्मीनारायण पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	157/3/1 /	0.462 /	0.462
	योग	1	0.462	0.462
9	कुमेरसिंह पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	157/3/2 /	0.461 /	0.461
	योग	1	0.461	0.461
10	गंगाबाई पिता देवीराम जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	158/1 /	1.986 /	1.986
	योग	1	1.986	1.986
11	जगदीश पिता देवचन्द्र जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	158/2/1 /	1.765 /	1.765
	योग	1	1.765	1.765

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जित भूमि
1	2	3	4	5
12	दुधारसिंह पिता देवचन्द जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	158/2/2 /	1.764 /	1.764
	योग	1	1.764	1.764
13	प्रेम पिता कालूराम जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	158/3 /	1.012 /	1.012
	योग	1	1.012	1.012
14	भोलाराम पिता शंकर जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	158/4/1 / 206/1 / 212/1 /	0.607 / 0.018 / 0.017 /	0.607 0.018 0.017
	योग	3	0.642	0.642
15	केशर, रमेश, दिनेश पिता भागीरथ जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	158/4/2 / 206/2 / 108/14/2 108/5/3 / 212/2 /	0.304 / 0.017 / 0.304 1.600 / 0.018 /	0.304 0.017 0.304 1.600 0.018
	योग	5	2.243	2.243
16	रामबगस पिता मनीराम जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	158/4/3 / 206/3 / 212/3 108/14/3 /	0.439 / 0.018 / 0.018 0.076 /	0.439 0.018 0.018 0.076
	योग	4	0.551	0.551
17	गंगाराम पिता किसना जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	158/4/4 / 212/4 / 206/4 / 108/14/4 /	0.607 0.018 / 0.018 0.304	0.607 0.018 0.018 0.304
	योग	4	0.947	0.947
18	शिव, रामनाथ, भोला, बंशी, गणपत पिता गोपी, सूरजबाई बेवा गोपी जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	158/4/5 / 206/5 / 208/5 / 212/5 /	0.860 0.018 0.258 0.018	0.860 0.018 0.258 0.018
	योग	4	1.154	1.154
19	इंदरसिंह, सत्यनारायण, बबलू, मुकेश, अर्जुन, नटवरसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	158/5/1/1	0.759	0.759
	योग	1	0.759	0.759
20	हेमराज, भगवानसिंह, जादूसिंह, सुल्तान, मुंशीलाल, भारतसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	158/5/1/2	0.759	0.759
	योग	1	0.759	0.759
21	सम्पतबाई पति बद्रीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	158/5/2 /	1.011 /	1.011
	योग	1	1.011	1.011

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकमा	अर्जित भूमि
1	2	3	4	5
22	अमरसिंह पिता मुन्नालाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	144 / 178/3 /	0.063 / 0.683 /	0.063 0.683
	योग	2	0.746	0.746
23	नंदा, धुल्या पिता जग्गा, शंकर, गोपी पिता मन्ना, भागीरथ, जुगल्या पिता किशना, धीसीबाई पिता भंवरलाल हि.1/4 बीरम पिता मोदिया, धीसीबाई बेवा मोदिया हि.1/3 मान्या, नाथ्या पिता ढूंगा, प्रभू मदन पिता छोटा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	173 / 174 /	0.291 / 0.114 /	0.291 0.114
	योग	2	0.405	0.405
24	शिवनारायण पिता गंगाराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	175 /	0.152 /	0.152
	योग	1	0.152	0.152
25	धीसालाल पिता शोभाराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	176 /	0.241 /	0.241
	योग	1	0.241	0.241
26	गोरीलाल पिता प्यारजी जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	234 /	0.139 /	0.139
	योग	1	0.139	0.139
27	शंकरलाल पिता जगन्नाथ जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	108/27/1/1	0.984 /	0.984
	योग	1	0.984	0.984
28	बिहारीलाल पिता जगन्नाथ जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	108/27/1/2 /	0.984 /	0.984
	योग	1	0.984	0.984
29	सुन्दरबाई पिता सालगराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	108/27/2	0.631	0.631
	योग	1	0.631	0.631
30	गोपीलाल पिता किशनलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	14/1 / 65/1 / 67/1 / 68/1 / 76/2/1 / 83/1 / 103/1 / 155/1 / 152/1 / 143/1 / 179/1 / 182/1 / 183/1 / 211/1 / 213/1 / 86/1 / 150/1 /	0.076 / 0.057 / 0.006 / 0.139 / 0.082 / 0.051 / 0.810 / 0.868 / 0.025 / 0.120 / 0.063 / 0.057 / 0.221 / 0.897 / 0.089 / 0.164 / 0.063 /	0.076 0.057 0.006 0.139 0.082 0.051 0.810 0.868 0.025 0.120 0.063 0.057 0.221 0.897 0.089 0.164 0.023
	योग	17	3.788	3.748

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्खा	अर्जित भूमि
1	2	3	4	5
31	अमृतलाल पिता मांगीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू—स्वामी	14/2 / 65/2 / 67/2 / 68/2 / 76/2/2 / 83/2 / 103/2 / 155/2 / 152/2 / 143/2 / 179/2 / 182/2 / 183/2 / 211/2 / 213/2 / 86/2 / 150/2 /	0.038 / 0.028 / 0.004 / 0.069 / 0.041 / 0.025 / 0.404 / 0.439 / 0.013 / 0.030 / 0.031 / 0.029 / 0.110 / 0.449 / 0.044 / 0.083 / 0.032 /	0.038 0.028 0.004 0.069 0.041 0.025 0.404 0.439 0.013 0.030 0.031 0.029 0.110 0.449 0.044 0.083 0.008
	योग	17	1.869	1.845
32	गजराज पिता मांगीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू—स्वामी	14/3 / 65/3 / 67/3 / 68/3 / 76/2/3 / 83/3 / 103/3 / 155/3 / 152/3 / 179/3 / 182/3 / 183/3 / 211/3 / 213/3 / 143/3 / 86/3 /	0.038 / 0.029 / 0.003 / 0.070 / 0.041 / 0.025 / 0.405 / 0.439 / 0.013 / 0.032 / 0.028 / 0.110 / 0.449 / 0.045 / 0.196 / 0.082 /	0.038 0.029 0.003 0.070 0.041 0.025 0.405 0.439 0.013 0.032 0.028 0.110 0.449 0.045 0.196 0.082
	योग	16	2.005	1.881

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकवा	अर्जित भूमि
1	2	3	4	5
33	बीरम पिता प्रभू रतनबाई बेवा प्रभू जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी	125/1 /	0.080	0.080
	योग	1	0.080	0.080
34	मदन पिता छोटा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	125/2 /	0.070	0.070
	योग	1	0.070	0.070
35	नानजी पिता बंशीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	93/1 /	0.044 /	0.044
	योग	1	0.044	0.044
36	देवीलाल पिता गंगाराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	210/1/1 119/1 /	0.531 0.076 /	0.531 0.076
	योग	2	0.607	0.607
37	शैतानबाई बेवा गोरीलाल, भगवानसिंह, राहुल पिता गोरीलाल	119/2 /	0.038 /	0.038
	योग	1	0.038	0.038
38	भगवानसिंह, बलराम पिता प्रभूलाल गणगाबाई बेवा प्रभूलाल	235/1 /	0.370 /	0.370
	योग	1	0.370	0.370
39	दुधारसिंह पिता नानजी	235/3 /	0.872 /	0.872
	योग	1	0.872	0.872
40	शिव पिता गोपी जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	108/5/4 /	1.600	1.600
	योग	1	1.600	1.600
	कुलयोग :-	109	33.146	32.958

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 16742 अ-82-2016-17

राजगढ़, दिनांक 16 सितम्बर 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम कलालपुरा के लिए दूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के द्वाव क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम कलालपुरा

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	नाथूलाल पिता परसराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू—स्वामी	4/3✓ 5/4✓ 68/2✓ 9✓ 10/3✓ 71/1✓	0.493✓ 1.265✓ 0.506✓ 0.051✓ 0.066✓ 0.169✓	0.493✓ 1.265✓ 0.426✓ 0.051✓ 0.066✓ 0.169✓
	योग	6	2.550✓	2.470✓
2	मोहनलाल पिता परसराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू—स्वामी	4/1✓ 10/1✓ 68/4/1✓ 71/3✓	0.494✓ 0.100✓ 0.203✓ 0.168✓	0.494✓ 0.100✓ 0.163✓ 0.168✓
	योग	4	0.965✓	0.925✓
3	पांचूलाल पिता परसराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू—स्वामी	4/2✓ 10/2✓ 68/3/1✓ 71/2✓	0.493✓ 0.100✓ 0.380✓ 0.169✓	0.493✓ 0.100✓ 0.250✓ 0.169✓
	योग	4	1.142✓	1.012✓
4	रामसिंह पिता हीरालाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू—स्वामी	5/2✓	0.759✓	0.759✓
	योग	1	0.759✓	0.759✓
5	रामनारायण पिता मदनलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू—स्वामी	5/3/2✓ 21/2✓ 74/2✓ 24/2✓ 24/6✓	0.076✓ 0.118✓ 0.063✓ 0.194✓ 0.027✓	0.044✓ 0.118✓ 0.063✓ 0.194✓ 0.027✓
	योग	5	0.478✓	0.446✓

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रक्खा	अर्जित रक्खा
1	2	3	4	5
6	नन्दराम पिता मदनलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	5/3/3✓ 15/3✓ 21/3✓ 74/3✓ 24/3✓ 24/7✓	0.076✓ 0.057✓ 0.118✓ 0.064✓ 0.194✓ 0.038✓	0.044✓ 0.057✓ 0.118✓ 0.064✓ 0.194✓ 0.038✓
	योग	6	0.547✓	0.515✓
	गोरधन पिता मदनलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	5/3/4✓ 15/4✓ 21/4✓ 74/4✓ 24/4✓ 24/8✓	0.076✓ 0.057✓ 0.118✓ 0.064✓ 0.194✓ 0.038✓	0.044✓ 0.057✓ 0.118✓ 0.064✓ 0.194✓ 0.038✓
	योग	6	0.547✓	0.515✓
8	गुलाबसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	5/3/1✓ 15/1✓ 21/1✓ 74/1✓ 24/1✓ 24/5✓	0.227✓ 0.179✓ 0.354✓ 0.190✓ 0.582✓ 0.113✓	0.130✓ 0.179✓ 0.354✓ 0.190✓ 0.582✓ 0.113✓
	योग	6	1.645-	1.548-
9	सूरजबाई पति बापूलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	12/1✓ 69/1✓	1.340✓ 0.696✓	1.340✓ 0.611✓
	योग	2	2.036-	1.951-
10	रायसिंह पिता हीरालाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	12/2/1✓ 69/2/1✓ 82/3/1✓	0.600✓ 0.348✓ 0.120✓	0.600 0.348 0.120
	योग	3	1.068-	1.068-
11	रामचन्द्र पिता हीरालाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	12/2/2✓ 69/2/2✓ 82/3/2✓	0.600✓ 0.347✓ 0.120✓	0.600✓ 0.347✓ 0.120✓
	योग	3	1.067-	1.067-

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा
1	2	3	4	5
12	मोड़सिंह, देवबाई, धूलीबाई पिता रामसिंह, अमृतबाई पिता लालसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	13 / 14 / 20 / 22 /	0.632 / 0.873 / 0.366 / 0.734 /	0.632 / 0.873 / 0.366 / 0.734 /
	योग	4	2.605 -	2.605 -
13	भवरलाल, बद्रीलाल, धापूबाई, कमलबाई पिता चेनसिंह, सम्पतवाई बेवा चेनसिंह, हीरालाल, मानसिंह, नाथू, पांचू, मोहनलाल, प्रेमबाई, सरदारबाई, मानीबाई, नानुबाई, कंचनबाई, गेदीबाई पिता परसराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	16 / 17 /	0.379 / 0.038 /	0.379 / 0.038 /
	योग	2	0.417 -	0.417 -
14	अमरसिंह, रोड़जी, रामप्रसाद, सौरमबाई, धापूबाई पिता कालू मु. मांगीबाई बेवा कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	25 / 26 / 33/1 / 88 / 83 /	0.835 / 0.253 / 0.427 / 1.757 / 0.430 /	0.835 / 0.253 / 0.427 / 1.557 / 0.334 /
	योग	5	3.702 -	3.406 -
15	गोरखन, कमल, जगदीश, पर्वतसिंह पिता देवसिंह, बदामबाई, धापूबाई, राधीबाई, नोरगबाई, भमता पिता देवसिंह मु. धीसीबाई बेवा देवसिंह, सम्पतवाई पिता गंगराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	27/1 / 28/1 / 31 / 78 /	0.101 / 0.354 / 0.367 / 0.607 /	0.101 / 0.354 / 0.367 / 0.607 /
	योग	4	1.429 -	1.429 -
16	भवरलाल पिता खीमाजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	27/2/1 / 28/2/1 / 29/1 / 76/1 /	0.034 / 0.118 / 0.165 / 0.333 /	0.034 / 0.118 / 0.165 / 0.300 /
	योग	4	0.650 /	0.617 -
17	गोरीलाल पिता खीमाजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	27/2/2 / 28/2/2 / 29/2 / 76/2 /	0.034 / 0.118 / 0.164 / 0.333 /	0.034 / 0.118 / 0.164 / 0.299 /
	योग	4	0.649 -	0.615 -
18	जयराम पिता खीमाजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	27/2/3 / 28/2/3 / 29/3 / 76/3 /	0.033 / 0.118 / 0.164 / 0.333 /	0.033 / 0.118 / 0.164 / 0.300 /
	योग	4	0.648 -	0.615 -

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
19	देवीराम पिता माना, मांगीलाल, रमकूबाई, भवरीबाई पिता अमरसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	30/✓ 72/✓	0.568/✓ 0.304/✓	0.568/✓ 0.254/✓
	योग	2	0.872/✓	0.822/✓
20	सुगनबाई पति हरिसिंह जाति तंवर नि.ग्राम भू-स्वामी	37/1/✓	0.834/✓	0.576/✓
	योग	1	0.834/✓	0.576/✓
21	मांगीलाल पिता भोना जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	38/1/✓ 75/1/✓	0.385/✓ 0.171/✓	0.385/✓ 0.107/✓
	योग	2	0.556/✓	0.492/✓
22	बंशीलाल पिता भोना जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	38/2/✓ 75/2/✓	0.384/✓ 0.171/✓	0.384/✓ 0.123/✓
	योग	2	0.555/✓	0.507/✓
23	फूलसिंह, विजयसिंह, केशरबाई पिता लक्ष्मण, रमेश, रंगलाल, बनेसिंह, मांगीलाल, मानीबाई, गीताबाई पिता किशना, दरियाबाई पिता किशना जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	68/1/✓	0.379/✓	0.341/✓
	योग	1	0.379/✓	0.341/✓
24	भंवरलाल, बद्रीलाल, धापूबाई, कमलबाई पिता चेनसिंह, सम्पतबाई बेवा चेनसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	80/✓ 81/✓ 105/✓ 82/2/✓	0.266/✓ 0.013/✓ 2.226/✓ 0.253/✓	0.266/✓ 0.013/✓ 1.484/✓ 0.188/✓
	योग	4	2.758/✓	1.951/✓
25	गोरखन, कमल, जगदीश, पर्वतसिंह, पिता देवसिंह, बदामबाई, धापूबाई, राधीबाई, नारंगबाई, समता पिता देवसिंह मु. धीसीबाई बेवा देवसिंह, सम्पतबाई पिता गंगाराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	70/1/✓	0.348/✓	0.273/✓
	योग	1	0.348/✓	0.273/✓
26	शंकर पिता खीमाजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	70/2/✓ 89/3/✓	0.348/✓ 0.089/✓	0.298/✓ 0.089/✓
	योग	2	0.437/✓	0.387/✓
27	पांचूबाई पति सालगराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	73/✓	0.316/✓	0.250/✓
	योग	1	0.316/✓	0.250/✓
28	जगन्नाथ पिता देवीराम, रामनारायण, नन्दराम, गोरखन, नोरंगबाई, पिता मदनलाल, सरदारबाई बेवा मदनलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	74/5/✓	0.010/✓	0.010/✓
	योग	1	0.010/✓	0.010/✓

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
29	चन्द्रसिंह पिता गंगाधर जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	82/1✓ 85✓	0.253✓ 1.047✓	0.253✓ 1.022✓
	योग	2	1.300✓	1.275✓
30	रायसिंह, रामचन्द्र पिता हीरालाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	82/3/3✓ 12/2/3✓	0.013✓ 0.014✓	0.013✓ 0.014✓
	योग	2	0.027✓	0.027✓
	कुलयोग :-	94	31.296✓	28.891✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 16758-अ-82-2016-17

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदाशता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बांसखेड़ी के लिए झूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के झूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि :- ग्राम बांसखेड़ी-2

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	देवीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/1/1✓ 12/1/1✓ 14/2/1✓	0.232✓ 0.050✓ 0.432✓	0.232✓ 0.050✓ 0.216✓
	योग	3	0.714	0.498✓
2	हिन्दूसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.झूंगरपुर भू-स्वामी	11/1/2✓ 12/1/2✓ 14/2/2✓	0.233✓ 0.051✓ 0.431✓	0.233✓ 0.051✓ 0.215✓
	योग	3	0.715	0.499✓

3	भंवरलाल, देवीलाल, अमृतलाल पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि.झूंगरपुर भू-स्वामी	11/2 ✓ 12/2 ✓	0.469 ✓ 0.100 ✓	0.469 ✓ 0.100 ✓
	योग	2	0.569	0.569 ✓
4	नारानसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.झूंगरपुर भू-स्वामी	11/3/1 ✓ 12/3/1 ✓ 14/1/1 ✓ 14/4/1 ✓ 16/1/1 ✓	0.185 ✓ 0.096 ✓ 0.431 ✓ 0.432 ✓ 0.165 ✓	0.185 ✓ 0.096 ✓ 0.064 ✓ 0.259 ✓ 0.165 ✓
	योग	5	1.309	0.769 ✓
स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
1	2	3	4	5
5	हरिसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.झूंगरपुर भू-स्वामी	11/3/2 ✓ 12/3/2 ✓ 14/1/2 ✓ 14/4/2 ✓ 16/1/2 ✓	0.184 ✓ 0.096 ✓ 0.432 ✓ 0.431 ✓ 0.165 ✓	0.184 ✓ 0.096 ✓ 0.064 ✓ 0.258 ✓ 0.165 ✓
	योग	5	1.308	0.767 ✓
	कुलयोग :-	18	4.615	3.102 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

आदेश

क्र. एफ-01-04-2015-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा बी-13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से टीकमगढ़ जिले की तहसील टीकमगढ़ की सीमाएँ उसमें से राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्थ के पटवारी हल्का क्रमांक 54 से 59 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागाँव के पटवारी हल्का क्रमांक 60 से 83 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्थ, पटवारी हल्का नं. 54 से 59 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागाँव के पटवारी हल्का नं. 60 से 83 को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील बड़ागाँव (धसान) का सृजन करती है, जिसमें कुल 30 पटवारी हल्के और 66 ग्राम समाविष्ट होंगे, उक्त तहसील का मुख्यालय बड़ागाँव (धसान) में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्र. एफ-1-4-2015-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-2014-सात-6, दिनांक 19 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 19th September 2017

ORDER

No. F.-1-4-2015-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil Tikamgarh of District Tikamgarh from the date of Publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 54 to 59 of Revenue Circle Samrra and Patwari Halka No. 60 to 83 of Revenue Circle Badagaon and creates a new Tehsil Badagaon (Dhasan) by comprising of Patwari Halka No. 54 to 59 of Revenue Circle Samrra and Patwari Halka No. 60 to 83 of Revenue Circle Badagaon, which shall be comprised of 30 Patwari Halka and 66 Villages. The headquater of the said Tehsil shall be at Badagaon (Dhasan).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

आदेश

क्र. एफ-01-03-2014-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा बी-13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा की सीमाएँ उसमें से राजस्व निरीक्षक मण्डल सॉईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 19 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरी के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 38 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल गाडरवारा के पटवारी हल्का नं. 96,97,101 तथा 103 से 114 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील सॉईखेड़ा के राजस्व निरीक्षक मण्डल सॉईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 19 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरी के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 38 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल गाडरवारा के पटवारी हल्का नं. 96,97,101 तथा 103 से 114 को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील सॉईखेड़ा का सृजन करती है, जिसमें कुल 53 पटवारी हल्के और 89 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय सॉईखेड़ा में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्र. एफ-1-3-2014-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-2014-सात-6, दिनांक 19 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 19th September 2017

ORDER

No. F.-1-3-2014-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil Gadarwara of District Narsinghpur from the date of Publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 19 of Revenue Circle Saikheda, Patwari Halka No. 20 to 38 of Revenue Circle Deori and Patwari Halka No. 96,97,101, 103 to 114 of Revenue Circle Gadarwara and creates a new Tehsil Saikheda by comprising of Patwari Halka No. 01 to 19 of Revenue Circle Saikheda and Patwari Halka No. 20 to 38 of Revenue Circle Deori and Patwari Halka No. 96, 97, 101 and 103 to 114 of Revenue Circle Gadarwara, which shall be comprised of 53 Patwari Halka and 89 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Saikheda.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 3 अप्रैल 2017

क्र. 326-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रक्का (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/ धनौरा	मुंगवानी	0.11	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सिवनी.	भमूडा नाला में पुल निर्माण हेतु
(2)	अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है।				
(3)	अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है।				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सिवनी, दिनांक 31 अगस्त 2017

क्र.-1524-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				अर्जित की जाने वाली भूमि	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	केवलारी	ग्राम-डोकर रंजी	रक्का-0.085 हेक्टर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्ता. भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी।	केवलारी से उगली मार्ग सागर नदी पुल निर्माण में भूमि का अधिग्रहण।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त 2017

क्र. 02 अ-82-16-17-9627.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक 2 में वर्णित है। भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	भैसदेही	भाण्डवा	0.148	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) बैतूल.	भाण्डवा (जिला बैतूल) से गोहटी (जिला हरदा) मार्ग हेतु।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अ. क्र.	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में से)	अर्जन की भूमि का रकबा (हे. में)	धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	195/2	0.769	0.148	रतन, शिवलाल, शिवराम, करण, व मौजी, उमदा बेवा मौजी, रम्पी बेवा छतन, सुनिता ना. बा. छतन वली मां. रम्पी बेवा छतन जाति ठाटया सा. देह।

- (2) चूंकि प्रस्तावक विभाग (लो. नि. वि.) द्वारा ग्राम भाण्डवा (जिला बैतूल) ग्राम गोहटी (जिला हरदा) मार्ग निर्माण कर लिए जाने के फलस्वरूप प्रभावित हितबद्ध व्यक्ति की आंशिक भूमि, अर्जन हेतु प्रस्तावित है। इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाजात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू-अर्जन अधिकारी), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सुनिश्चित नहीं करेगा।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

बैतूल, दिनांक 5 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 8 अ-82-16-17-9744.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची 2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची 1

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	शाहपुर	बेरेठा (वनग्राम)	4.200	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल (म. प्र.).	मोखा जलाशय के डूब क्षेत्र का पूरक अर्जन।

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

अ. क्र.	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	अर्जन की भूमि का रकबा (हे. में)	धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	57	4.177	0.970	फुन्दलाल, धनसिंह व. सुकलू जमना प्रसाद व सूरज सा देह
2	62	2.298	1.290	ज्ञामसिंह व मंगू गोड सा देह
3	191/2	1.279	1.050	तुलसी व रोवा गोड सा देह
4	191/3	0.890	0.890	जबरसिंह व रोवा गोड सा देह
		योग . .	4.200	—

- (2) चूंकि मोखा जलाशय योजना के बांध हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का पूरक अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 4 सितम्बर 2017

क्र. भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-16-17 पत्र क्र. 527-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिये	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	पथरहटा	0.042	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 9 मैहर, जिला सतना.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-16-17 पत्र क्र. 528-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिये	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	इचौल	0.053	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 7 सतना, जिला सतना.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. 523-भू-अर्जन-2017—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपबंधों के अनुसार

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(4)		
(1) रीवा	(2) हुजूर	(3) बोदा	0.053		कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा।	रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्र. 1532-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व में चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
(1) सतना	(2) रामपुर	(3) मझियार बाघेलान	1.132		कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कंदवा माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन।

योग . . . 1.132

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1534-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	वर्ती	4.651	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मढ़ी माइनर की वर्ती नं. 1, नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
योग . .				<u>4.651</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1536-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	कंदवा	2.100	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कंदवा माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
योग . .				<u>2.100</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1538-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण	धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
सतना	रामपुर	बठिया	0.718	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मनकहरी माइनर की नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
बाधेलान.					योग . . 0.718

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1540-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण	धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
सतना	रामपुर	मनकहरी	5.205	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मनकहरी माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
बाधेलान.					योग . . 5.205

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1542-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	बम्हौरी	2.275	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मनकहरी माइनर की नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
बाधेलान.				योग . .	<u>2.275</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1544-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	हिनौता	1.382	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मनकहरी माइनर की नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
बाधेलान.				योग . .	<u>1.382</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1546-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	देवमऊ	7.525	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत
	बाघेलान.	दलदल.		संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	देवमऊ दलदल सब माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन।
योग . .				7.525	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1548-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	बनपरा	1.824	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत
	बाघेलान.			संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	कंदवा माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन।
योग . .				1.824	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1550-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	बेला	2.720	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत घटबेलवा एवं मढ़ी माइनर की नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
बाधेलान.				योग . .	2.720

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1552-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	छिबौरा	1.498	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मढ़ी माइनर की वर्ती नं. 1 नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
बाधेलान.				योग . .	1.498

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 1554-भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	मढ़ी	1.664	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मढ़ी माइनर की नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
योग . .					1.664

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर दिनांक 11 सितम्बर 2017

प्र. क्र. /भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में ग्राम धन्ड में इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि की जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है, की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) कि धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम:—धन्ड

सं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
क्र.	(2)	(3)	(4)	(5)
1	इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि.	00	0.027	0.027
	योग . .	00	0.027	0.027

अनुसूची (2)

इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि अंतर्गत ग्राम धन्ड की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
		खसरा क्रमांक	सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	दिलीप पिता रामचन्द्र जाति खाती निवासी ग्राम धन्ड.	162/4	00	0.010	0.010	00	09.008	0.008
2	राजेश, महेश, मनोज, पंकज पिता रेवाशंकर निवासी ग्राम धन्ड.	162/1	00	0.019	0.019	00	0.019	0.019
	योग . .		02	00	0.029	00	0.027	0.027

- (1) यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।
- (2) अर्जनाधीन भूमि से संबंधित रेखांकन संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास लिमिटेड संभाग, इन्दौर पी. डब्ल्यू. डी. परिसर ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।
- (3) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।
- (4) अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सभी भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- (5) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

प्र. क्र. भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में ग्राम धरावरा में इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि की जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है, की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम:—धरावरा

तहसील:—देपालपुर, जिला इन्दौर

संख्या	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि.	0.072	0.040	0.112
	योग . .	0.072	0.040	0.112

अनुसूची (2)

इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि अंतर्गत
ग्राम धरावरा की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
		खसरा क्रमांक	सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	हुकुमसिंह पिता रूपसिंह जाति माली निवासी ग्राम धरावरा.	8/6	00	0.350	0.350	00	0.040	0.040
2	निर्मलाबाई पति लक्ष्मीकांत साहु निवासी वर्धमान नगर, इन्दौर.	95/2	2.594	00	2.594	0.072	00	0.072
	योग . .	02	2.594	0.350	2.944	0.072	0.040	0.112

- (1) यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।
- (2) अर्जनाधीन भूमि से संबंधित रेखांकन संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास लिमिटेड संभाग, इंदौर पी. डब्ल्यू. डी. परिसर ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।
- (3) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।
- (4) अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- (5) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 5 अगस्त 2017

प्र. क्र. 07-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
- (ख) तहसील—जोबट
- (ग) ग्राम—कस्वाजोबट
- (घ) अर्जित रकबा—हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
4.217	1.758	5.975

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

(1)	(2)	(3)	(4)
खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
507	0.235	0.000	0.235
517	0.318	0.000	0.318
510	0.000	0.573	0.573
512	0.000	0.306	0.306
488	0.000	0.392	0.392
561	0.089	0.000	0.089
563	0.422	0.000	0.422
564	0.223	0.000	0.223
565/1	0.125	0.000	0.125
565/2	0.097	0.000	0.097
566	0.212	0.000	0.212
635	0.104	0.000	0.104
623/2	1.064	0.000	1.064
623/3	0.194	0.000	0.194
623/4	0.021	0.000	0.021
623/5	0.512	0.000	0.512
624	0.251	0.000	0.251
664/623	0.180	0.000	0.180
663/623	0.170	0.000	0.170

(1)	(2)	(3)	(4)
506	0.000	0.487	0.487
योग . .	4.217	1.758	5.975

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु”.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़दोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 0015-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
- (ख) तहसील—जोबट
- (ग) ग्राम—कोसदूना
- (घ) अर्जित रकबा—हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
8.543	0.244	8.787

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

(1)	(2)	(3)	(4)
खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
213	0.027	0.000	0.027
215	0.332	0.000	0.332
216	0.130	0.000	0.130
217	0.651	0.000	0.651
220	0.888	0.000	0.888
221	0.003	0.000	0.003
229	0.486	0.000	0.486
228	0.036	0.000	0.036
226	0.000	0.011	0.011
227	0.535	0.000	0.535
321	0.876	0.000	0.876
319	0.547	0.000	0.547

(1)	(2)	(3)	(4)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			
				(1)	(2)	(3)	(4)
318	0.037	0.000	0.037				
325	0.001	0.000	0.001	खसरा क्रं.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
326	0.153	0.000	0.153	315	0.000	0.481	0.481
425	0.000	0.046	0.046	314	0.652	0.000	0.652
416/1	0.361	0.000	0.361	313	0.720	0.000	0.720
416/2	0.151	0.000	0.151	307/2	0.000	0.017	0.017
416/3	0.548	0.000	0.548	312	0.122	0.000	0.122
417	0.022	0.000	0.022	321	0.145	0.000	0.145
370	0.389	0.000	0.389	324	0.457	0.000	0.457
371	0.034	0.000	0.034	325	0.000	0.008	0.008
372	0.217	0.000	0.217	347	0.188	0.000	0.188
373	0.291	0.000	0.291	346	0.000	0.217	0.217
375	0.287	0.000	0.287	345	0.040	0.000	0.040
382	0.555	0.000	0.555	260	0.345	0.000	0.0345
381	0.109	0.000	0.109	259	0.109	0.000	0.109
383	0.000	0.187	0.187	355	0.170	0.000	0.170
380	0.420	0.000	0.420	353	0.129	0.000	0.129
379	0.457	0.000	0.457	357	0.238	0.000	0.238
कुल योग . .	8.543	0.244	8.787	363	0.425	0.000	0.425

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु”.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़दोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 0016-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
- (ख) तहसील—जोबट
- (ग) ग्राम—जैसिंगपुर
- (घ) अर्जित रकबा—हेक्टर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
5.578	3.050	8.628

(1)	(2)	(3)	(4)
खसरा क्रं.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
315	0.000	0.481	0.481
314	0.652	0.000	0.652
313	0.720	0.000	0.720
307/2	0.000	0.017	0.017
312	0.122	0.000	0.122
321	0.145	0.000	0.145
324	0.457	0.000	0.457
325	0.000	0.008	0.008
347	0.188	0.000	0.188
346	0.000	0.217	0.217
345	0.040	0.000	0.040
260	0.345	0.000	0.0345
259	0.109	0.000	0.109
355	0.170	0.000	0.170
353	0.129	0.000	0.129
357	0.238	0.000	0.238
363	0.425	0.000	0.425
362	0.000	0.524	0.524
365	0.062	0.000	0.062
360/1	0.000	0.384	0.384
360/2	0.000	0.206	0.206
160	0.000	0.316	0.316
159	0.343	0.000	0.343
158	0.000	0.183	0.183
161	0.000	0.058	0.058
141/मिन-1	0.415	0.000	0.415
141/मिन-2	0.000	0.004	0.004
137	0.188	0.000	0.188
146	0.000	0.310	0.310
148	0.000	0.080	0.080
149	0.343	0.000	0.343
150	0.090	0.000	0.090
46/1	0.010	0.000	0.010
46/2	0.378	0.000	0.378
45/2	0.000	0.262	0.262
36	0.009	0.000	0.009
योग . .	5.578	3.050	8.628

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु”.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़दोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 0018-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
- (ख) तहसील—जोबट
- (ग) ग्राम—डेकाकुण्ड
- (घ) अर्जित रकबा—हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
4.032	5.760	9.792

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

(1) खसरा क्रं.	(2) सिंचित	(3) असिंचित	(4) कुल रकबा
487/2	0.000	0.409	0.409
480	0.483	0.000	0.483
481	0.000	0.813	0.813
439	0.000	0.134	0.134
60	0.000	1.138	1.138
62	0.000	0.377	0.377
72/2	0.000	0.026	0.026
72/1	0.000	0.305	0.305
77	0.000	0.003	0.003
76	0.000	0.298	0.298
74	0.000	0.047	0.047
75	0.000	0.388	0.388
82/1	0.130	0.000	0.130
82/2	0.000	0.030	0.030
83	0.000	0.210	0.210
176	0.000	0.017	0.017
175	0.000	0.136	0.136
174	0.039	0.000	0.039
171	0.122	0.000	0.122
170	0.010	0.000	0.010
166	0.384	0.000	0.384
110	0.000	0.414	0.414
111	0.000	0.198	0.198
165	0.166	0.000	0.166
164	0.405	0.000	0.405

	(1)	(2)	(3)	(4)
487/मिन-3	163	0.252	0.000	0.252
	162	0.510	0.000	0.510
	161	0.126	0.000	0.126
	160	0.093	0.000	0.093
	158	0.269	0.000	0.269
	157	0.267	0.000	0.267
	156	0.776	0.000	0.776
483/1	487/मिन-3	0.000	0.305	0.305
	483/1	0.000	0.470	0.470
	490	0.000	0.042	0.042
योग . .		4.032	5.760	9.792

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.”.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़दोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 0019-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
- (ख) तहसील—जोबट
- (ग) ग्राम—बेटवासा
- (घ) अर्जित रकबा—हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
4.532	6.664	11.196

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

(1) खसरा क्रं.	(2) सिंचित	(3) असिंचित	(4) कुल रकबा
202/2	0.000	0.319	0.319
202/1	0.000	0.138	0.138
202/3	0.000	0.145	0.145
187	0.000	0.172	0.172

(1)	(2)	(3)	(4)
188	0.976	0.000	0.976
190	0.000	0.412	0.412
189	0.000	0.481	0.481
184/1/मिन-1	0.000	1.629	1.629
184/1/मिन-2	0.000	0.097	0.097
184/1/मिन-3	0.000	0.205	0.205
184/2	0.000	0.010	0.010
176/1	0.000	0.149	0.149
182	0.000	0.003	0.003
177	0.000	0.227	0.227
181/1	0.000	0.005	0.005
181/2	0.000	0.068	0.068
180/1	0.000	0.050	0.050
180/2	0.000	0.0521	0.521
178	0.000	0.022	0.022
252/2	0.000	0.042	0.042
254	0.000	0.345	0.0345
255	0.000	0.259	0.259
286	0.000	0.013	0.013
288/1	0.000	0.265	0.265
283	0.000	0.030	0.030
282	0.000	0.272	0.272
281	0.000	0.019	0.019
277	0.000	0.171	0.171
279	0.349	0.000	0.349
278/2	0.000	0.007	0.007
278/3	0.000	0.062	0.062
307	0.000	0.195	0.195
308	0.400	0.000	0.0400
309	0.000	0.331	0.331
310	0.289	0.000	0.289
316	0.322	0.000	0.322
311	0.708	0.000	0.708
312	0.817	0.000	0.817
370	0.433	0.000	0.433
371	0.152	0.000	0.0152
373	0.086	0.000	0.086
योग . .	4.532	6.664	11.196

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.”.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़दोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 8 सितम्बर 2017

पत्र क्र. 522-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, ग्राम सेहुड़ा-551, राजस्व निरीक्षक मण्डल अंतरैला, तहसील जवा, रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग के कि. मी. 1/2 में सतधार नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) नगर/ग्राम—सेहुड़ा-551
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.134 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
204	0.030
205	0.012
2/2/1	0.020
2/2/2	0.020
2/2/3	0.024
221/2	0.028
कुल रकबा . .	0.134

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग से सतधार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 524-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के

कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत इतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि ग्राम कल्याणपुर-55, राजस्व निरीक्षक मण्डल डॉभौरा, तहसील जवा, रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग के कि. मी. 1/2 में सतधार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु, इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) नगर/ग्राम—कल्याणपुर-55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.129 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
936	0.068
938	0.061
कुल रकबा . .	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग में सतधार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीती मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 11 सितम्बर 2017

प. क्र. 5659-जि.भू.आ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—घंसौर
- (ग) ग्राम—हरई, प.ह.नं.—32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.24 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
197	0.24

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी में भी किया जा सकता है।

क्र. 5660-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-घोटी, ब. नं. 183, प. ह. नं. 33
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.07 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
105	0.07

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—दिघोरी से कातलबोड़ी मार्ग के कि. मी. 2/4 में बैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 5661-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
 (ख) तहसील—सिवनी
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—दिघोरी, ब. नं. 42, प. ह. नं. 33,
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.17 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1) 703/3	(2) 0.17
(2)	
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—दिघोरी से कातलबोड़ी मार्ग के कि. मी. 2/4 में बैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन के संबंध में।	
(3)	
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।	
(4)	
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 गोपाल चंद्र डाढ़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्र. 12878-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
 (ख) तहसील—धार
 (ग) ग्राम—आथर
 (घ) अर्जित रकबा—3.539 हेक्टेयर।

खसरा खसरा नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. मे.)
(1)	(2)
11/1/1	0.200
11/1/2	0.250
11/2/1	0.230
11/2/2	0.350
15/1	0.085
15/2	0.044
15/3	0.100
15/4	0.100
15/5	0.100
15/6	0.100
15/7	0.140
15/22	0.100
22	0.230
23	0.280
39/2/1	0.650
39/2/2	0.580
योग	3.539

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दाहोद-इंदौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे धार-इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 23rd August 2017

No. 1053-Confdl.-2017-II-3-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Refresher Training Programme for the Master Trainers of Ubuntu Operating System, Libre Office Suite and CIS on 9th September, 2017 & 10th September 2017 in the Academy Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attnd the aforesaid programme.

Jabalpur, the 26th August 2017

No. C-3494.—In exercise of powers conferred by Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri Anand V. Mandloi Budget Officer) as State Public Information Officer for the High Court of Madhya Pradesh, Bench Gwalior.

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. C-3733-एक-7-3-16-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी-4309-एक-7-3-2016, भाग-1, जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्डैर/ग्वालियर हेतु माह सितम्बर में घोषित शनिवार दिनांक 9 सितम्बर 2017, 16 सितम्बर, 2017 एवं 23 सितम्बर 2017 अवकाश/अकार्य दिवस को ऐसी क्रिमिनल अपील, जिसमें अभियुक्त 10 वर्षों से अधिक समय से जेल में हैं एवं उन्हें मध्यप्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता प्रदान की गई है, की सुनवाई किये जाने हेतु कार्य दिवस घोषित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मोहम्मद फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्र.-सी-3650-तीन-10-42-75.—उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री वरुण कुमार शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दमोह, जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त तेंतूखेड़ा में प्रत्येक माह में 10 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, दमोह में ही बैठक करेंगे। परिणामस्वरूप दमोह-तेंतूखेड़ा श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है।

No. C-3650-III-10-42-75.—High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Varun Kumar Sharma, IV Civil Judge Class-2, Damoh, who was directed to hold sitting at Tendukheda in addition to his place of sitting for a period of 10 days in a month for holding Link Court, will hold sitting at Damoh only on all working days in a month. Consequently, the sitting of Damoh-Tendukheda Link Court is hereby discontinued.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी (डी. ई.).

जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. E-6296-दो-3-3-2003.—श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 7 से 15 सितम्बर 2017 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्र. C-3653-दो-2-31-2014.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 9 से 12 अगस्त 2017 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 8 अगस्त 2017 तक एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6451-दो-2-10-2016.—श्री बी. सी. मलैया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2017 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-6453-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 1 से 5 अगस्त 2017 तक पाँच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 6 से 12 अगस्त 2017 तक सात दिवस का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. E-6455-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री हरिशंकर वैश्य, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, गुना को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-973, दिनांक 10 फरवरी 2017 के द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को 167 दिवस (एक सौ सङ्कर दिवस मात्र) के पूर्व स्वीकृत

अर्जित अवकाश नगदीकरण के अनुक्रम में पाँच दिवस के अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की स्वीकृति और प्रदान की जाती है।

क्र. E-6457-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 30 जून 2017 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 2 दिसम्बर 2015 से 30 जून 2017 तक लगभग अट्ठारह माह की अवधि के लिए पात्रतानुसार 22 दिवस (बाबीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-6459-दो-3-34-2013.—श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 8 से 10 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 6 एवं 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. E-6532-दो-2-28-2014.—श्री व्ही. पी. एस. चौहान, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद वर्तमान में जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), वृत्त ग्वालियर का दिनांक 8 से 12 अगस्त 2017 तक पाँच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. ढुबे, रजिस्ट्रार,

जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त, 2017

क्र. 1061-गोपनीय-2017-II-2-88-2006.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री आशीष प्रताप सिंह, अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2017

क्र. 1067-गोपनीय-2017-दो-2-25-93-(भाग-4).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके स्तम्भ क्रमांक (4) में निर्दिष्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम धार।	धार	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार की हैसियत से।

क्र. 1071-गोपनीय-2017-II-2-88/2006.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, भोपाल।	भोपाल	रीवा	रीवा	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रीवा की हैसियत से श्री राजकुमार साखरे के स्थान पर।
2	श्री राजकुमार साखरे, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रीवा।	रीवा	भोपाल	भोपाल	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्रीमती सीमा श्रीवास्तव के स्थान पर।

क्र. 1073-गोपनीय-2017-II-2-88-2006.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तंभ (6) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी					
क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती किरण बाला पाठक, सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, रीवा.	रीवा	ग्वालियर	ग्वालियर	सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से श्री रविकांत स्वर्णकार के स्थान पर.
2	श्री रविकांत स्वर्णकार, सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, ग्वालियर.	ग्वालियर	रीवा	रीवा	सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, रीवा की हैसियत से श्रीमती किरणबाला पाठक के स्थान पर.

क्र. 1079-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से वेतनमान रूपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010/- में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी					
क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री भरत सिंह कनेल	लटेरी	लटेरी	विदिशा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, विदिशा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान लटेरी जिला विदिशा की हैसियत से.
2.	श्री अरविंद सिंह तेकाम	धार	लखनादौन	सिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, लखनादौन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3.	श्री नितिन कुमार मुजालदा	हटा	हटा	दमोह	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, हटा की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
4.	श्रीमती निधि सक्सेना	बासोदा	बासोदा	विदिशा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बासोदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बासोदा जिला विदिशा की हैसियत से.
5.	श्री अजय कुमार	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6.	श्री राजेश जैन	सेवढ़ा	सेवढ़ा	दतिया	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सेवढ़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सेवढ़ा जिला दतिया की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	श्री दीपक चौधरी	खरगौन	खरगौन	मंडलेश्वर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, खरगौन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में,
8.	श्रीमती श्वेता तिवारी	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 उज्जैन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में,
9.	श्री शशांक खरे	नारायणगढ़	नारायणगढ़	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 नारायणगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नारायणगढ़ जिला मंदसौर की हैसियत से,
10.	श्रीमती बबीता होरा शर्मा	बेद्धन	उदयपुरा	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1 रायसेन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान उदयपुरा जिला रायसेन की हैसियत से,
11.	श्री महेश कुमार वर्मा	गुना	गुना	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 गुना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश गुना की हैसियत से,
12.	श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव	सागर	सागर	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सागर की हैसियत से,
13.	श्रीमती विनीता गुप्ता	देवास	इंदौर	इंदौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 इंदौर की हैसियत से श्रीमती बरखा दिनकर के स्थान पर,

क्र. 1080-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहाँ से	कहाँ को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री उत्तम कुमार डार्वी	जतारा	सेंधवा	बड़वानी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में,
2.	श्रीमती बरखा दिनकर	इंदौर	बिजावर	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 बिजावर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में,

टिप्पणी.—श्री उत्तम कुमार डार्वी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जतारा जिला टीकमगढ़, का स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर किया गया है।

क्र. 1082-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (ट्रेनी जज) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11(3)

के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ प्रदान करता है :—

सारणी					
क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री कृष्ण अग्रवाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	श्री विवेक जैन	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3.	श्री विनायक गुप्ता	नीमच	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
4.	श्री महेन्द्र सैनी	मंदसौर	सनावद	मंडलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सनावद की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
5.	सुश्री नुरुनिशा अंसारी	विदिशा	जबलपुर	जबलपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
6.	श्री निशांत मिश्रा	खण्डवा	श्योपुर	श्योपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, श्योपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

क्र. 1083-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी					
क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री दिलीप सिंह परमार	सतना	सीतामऊ	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सीतामऊ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	श्री वीरेन्द्र जोशी	नौगाँव	सीतामऊ	मंदसौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सीतामऊ की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
3.	श्री मनोज सोनी	खुरई	अजयगढ़	पन्ना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अजयगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
4.	श्री विनिक जैन	होशंगाबाद	तेंदूखेड़ा	दमोह	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, तेंदूखेड़ा की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
5.	श्री अतुल यादव	मनावर	रतलाम	रतलाम	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रतलाम की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

टिप्पणी.—

- श्री विनायक गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नीमच के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नीमच।
- श्री दिलीप सिंह परमार, सत्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सतना।
- श्री वीरेन्द्र जोशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नौगाँव जिला छतरपुर
- श्री अतुल यादव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मनावर जिला धार का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।